प्रकरण संख्या 39/2019 RCMS ID-2019/00138 तारीख रजु–02.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

नरवरसिंह पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी कंजोली थाना बालघाट जिला करौली राज. – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–27.11.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री नरवरसिंह पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी कंजोली थाना बालघाट जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 जिसके द्वारा श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित किया गया है, के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील संख्या 141/2018 प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 02.05.2019 को निर्णय पारित करते हुये श्री गुर्जर की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री गुर्जर को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री गुर्जर को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस के दौरान श्री गुर्जर ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि श्री गुर्जर की बन्दूक संख्या 7305/09 पुलिस थाना बालघाट में जमा है। प्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है। पंचायत चुनाव 2015 सम्पन्न होने से पूर्व श्री गुर्जर सर्वूलर एट्रक्शन की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण दुर्लभजी अस्पताल में 15–20 दिन भर्ती रहा जिसके कारण श्री गुर्जर को एवं उसके परिवारजनों को शस्त्र जमा कराने संबंधी नोटिस की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी एवं शस्त्र को संबंधित थाने में जमा नहीं करवा सका। परिवारजन भी श्री गुर्जर की बीमारी के कारण व्यस्त रहे। श्री गुर्जर ने श्रीमान् के आदेश की जानबूझकर अवहेलना नहीं की है। बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही निर्णय पारित किया गया है। श्री गुर्जर ने विधानसभा चुनाव 2018 से पूर्व अपना शस्त्र संबंधित थाने में जमा करा दिया है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को मध्येनजर रखते हुए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। श्री गुर्जर द्वारा सूचना के उपरान्त शस्त्र जमा नहीं कराये जाने पर पुलिस अधीक्षक, करौली की अभिशंषा पर इनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त फरमाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक, करौली ने रिपोर्ट क्रमांक ल–1/( )श.अ. बहाली/डीएसबी /2019/118777 दिनांक 24.10.2019 द्वारा श्री गुर्जर को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंषा के साथ अपनी अनापत्ति प्रेषित की है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। पंचायत आम चुनाव 2015 के समय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रोंधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने मे जमा कराने के आदेश पारित किये जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। श्री गुर्जर द्वारा समय पर शस्त्र जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर दिनांक 13.03.2015 को श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। तत्समय की स्थिति के अनुसार न तो सभी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों पर व्यक्तिगत तामील करवाई जा सकती थी और ना ही व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती थी। श्री गुर्जर द्वारा तय समय सीमा में शस्त्र जमा नहीं कराया गया था। श्री गुर्जर द्वारा पंचायत चुनाव 2015 से पूर्व बीमार होने एवं दुर्लभजी अस्पताल में 15–20 दिन भर्ती रहने का तथ्य बताया है जबकि उसके समर्थन में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त श्री गुर्जर द्वारा पंचायत चुनाव 2015 के बाद स्वस्थ होने के उपरांत भी शस्त्र को संबंधित थाने में जमा नहीं करवाकर विधानसभा चुनाव 2018 में लगभग 3 वर्ष बाद थाने में जमा करवाया है जो कि शस्त्र अनुज्ञापत्र की शर्तों एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः हम श्री गुर्जर का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री गुर्जर को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 030605/09 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11..2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 13:11:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: